

मुख्य सचिव बैठक दिनांक 03.07.2026/
अति आवश्यक/सर्वोच्च प्राथमिकता/तत्काल

प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक- 581 /मु0प्रा0प0/एतसप/ग्रा0वि0/2026-27

दिनांक 29 जून, 2026

विषय- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में समस्त सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र की स्थापना हेतु आयोजित बैठक के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-सा0-113/अइतीस-9-2026/38-9099(99)/4/2024, दिनांक 25.06.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विशेष सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा, श्रेत अनुभाग (अधि0), उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-आई/1371991/87-01010(99)/3/2023, दिनांक 04.05.2026 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये प्रदेश के समस्त सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में हुई प्रगति की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 03.07.2026 को अपराह्न 04.00 बजे लोक भवन, प्रथम तल स्थित सभाकक्ष में बैठक आहूत की गयी है, जिसमें निम्न बिन्दुओं पर समीक्षा की जाएगी:-

- (1) विभागों के मुख्यालय एवं जनपद स्तर पर रूफटॉप सोलर संयंत्र की स्थापना हेतु उपलब्ध उपयुक्त सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों की संख्या।
- (2) उपरोक्त भवनों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र की स्थापना की वर्तमान स्थिति-स्थापित/स्थापनाधीन।
- (3) अवशेष उपयुक्त भवनों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र की स्थापना हेतु कार्ययोजना।
- (4) सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र की स्थापना हेतु यूपीनेडा द्वारा विकसित पोर्टल पर डेटा अपलोड की प्रगति।

उक्त क्रम में यह भी अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्र संख्या-575/मु0प्रा0प0/एतसप/ग्रा0वि0/2026-27, दिनांक 25.06.2026 द्वारा संबंधित जनपदों से सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये थे, परन्तु अब तक जनपदों से सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है। उक्त सूचना आज ही उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अतः आपसे अनुरोध है कि शासन के पत्र दिनांक 25.06.2026 के साथ संलग्न विशेष सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा, श्रोत अनुभाग (अधि०), उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक के बिन्दु संख्या 04 पर दिये गये निर्देशों के क्रम में भवनों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र की स्थापना हेतु यूपीनेडा द्वारा विकसित पोर्टल जिसका उल्लेख शासन के संदर्भित पत्र दिनांक 25.06.2026 में किया गया है, पर डेटा अपलोड कराना सुनिश्चित करें। अतः विषय की महत्ता के दृष्टिगत व्यक्तिगत विशेष ध्यानाकर्षण एवं समयबद्ध कार्यवाही अपेक्षित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

Digitally signed by
SATYA PRAKASH SINGH
Date: 29-06-2026

14:36:31
(एस०पी० सिंह)

मुख्य प्राविधिक परीक्षक
टी०ए०सी०, ग्रा०वि०, उ०प्र०।

पत्रांक- 581/मु०प्रा०प०/एतसप/सामु०वि०/2026-27, तददिनांक

प्रतिलिपी- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(एस०पी० सिंह)

मुख्य प्राविधिक परीक्षक
टी०ए०सी० ग्रा०वि०, उ०प्र०।

मुख्य सचिव बैठक दिनांक 03.07.2026/
अति आवश्यक/सर्वोच्च प्राथमिकता/तत्काल

प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक- 581 /मु0प्रा0प0/एतसप/ग्रा0वि0/2026-27

दिनांक 29 जून, 2026

विषय- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में समस्त सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र की स्थापना हेतु आयोजित बैठक के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-सा0-113/अइतीस-9-2026/38-9099(99)/4/2024, दिनांक 25.06.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विशेष सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा, श्रेत अनुभाग (अधि0), उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-आई/1371991/87-01010(99)/3/2023, दिनांक 04.05.2026 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये प्रदेश के समस्त सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में हुई प्रगति की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 03.07.2026 को अपराह्न 04.00 बजे लोक भवन, प्रथम तल स्थित सभाकक्ष में बैठक आहूत की गयी है, जिसमें निम्न बिन्दुओं पर समीक्षा की जाएगी:-

- (1) विभागों के मुख्यालय एवं जनपद स्तर पर रूफटॉप सोलर संयंत्र की स्थापना हेतु उपलब्ध उपयुक्त सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों की संख्या।
- (2) उपरोक्त भवनों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र की स्थापना की वर्तमान स्थिति-स्थापित/स्थापनाधीन।
- (3) अवशेष उपयुक्त भवनों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र की स्थापना हेतु कार्ययोजना।
- (4) सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र की स्थापना हेतु यूपीनेडा द्वारा विकसित पोर्टल पर डेटा अपलोड की प्रगति।

उक्त क्रम में यह भी अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्र संख्या-575/मु0प्रा0प0/एतसप/ग्रा0वि0/2026-27, दिनांक 25.06.2026 द्वारा संबंधित जनपदों से सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये थे, परन्तु अब तक जनपदों से सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है। उक्त सूचना आज ही उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अतः आपसे अनुरोध है कि शासन के पत्र दिनांक 25.06.2026 के साथ संलग्न विशेष सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा, श्रोत अनुभाग (अधि०), उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक के बिन्दु संख्या 04 पर दिये गये निर्देशों के क्रम में भवनों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र की स्थापना हेतु यूपीनेडा द्वारा विकसित पोर्टल जिसका उल्लेख शासन के संदर्भित पत्र दिनांक 25.06.2026 में किया गया है, पर डेटा अपलोड कराना सुनिश्चित करें। अतः विषय की महत्ता के दृष्टिगत व्यक्तिगत विशेष ध्यानाकर्षण एवं समयबद्ध कार्यवाही अपेक्षित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(एस०पी० सिंह)

मुख्य प्राविधिक परीक्षक
टी०ए०सी०, ग्रा०वि०, उ०प्र०।

पत्रांक- 581/मु०प्रा०प०/एतसप/सामु०वि०/2026-27, तददिनांक

प्रतिलिपी- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

Digitally signed by
SATYA PRAKASH SINGH
Date: 29-06-2026

14:37:02
(एस०पी० सिंह)

मुख्य प्राविधिक परीक्षक
टी०ए०सी० ग्रा०वि०, उ०प्र०।

मुख्य सचिव बैठक दिनांक 03.07.2026/महत्वपूर्ण
संख्या:-सा0-113/अडतीस-9-2026/38-9099(99)/4/2024

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,

विशेष सचिव

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

आयुक्त,

ग्राम्य विकास, उ०प्र०,

लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7

लखनऊ: 25 जून, 2026

विषय:- मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में समस्त सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र की स्थापना हेतु आयोजित बैठक के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा श्रोत अनुभाग (अधि०) के पत्र संख्या-आई/1371991/87-01010(099)/3/2023, दिनांक 22.06.2026 (छायाप्रति संलग्नक सहित) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विभिन्न विभागों के समस्त सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों पर कैंपेक्स/रेस्को मॉडल पर रूफटॉप सोलर संयंत्र की स्थापना करने एवं इसके लिये आवश्यक बजट का प्रावधान करने विषयक निर्गत शासनादेश दिनांक 03.03.2023 एवं दिनांक 07.10.2024 का उल्लेख करते हुये प्रदेश के समस्त सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र में अंकित बिन्दुओं पर हुई प्रगति की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 03.07.2026 को अपरान्ह 04:00 बजे लोक भवन, प्रथम तल स्थित सभाकक्ष में बैठक आयोजित किये जाने की सूचना देते हुये उपरोक्त बिन्दुओं पर संकलित सूचना, विभागीय राज्य नोडल अधिकारी एवं जनपद नोडल अधिकारी का विवरण दिनांक 26.06.2026 तक ई-मेल आईडी-dirupneda@gmail.com पर उपलब्ध कराने एवं इसके लिए विकसित पोर्टल <https://solar.upneda.in/application/rooftop/rooflogin> पर अपलोड करने हेतु निर्देशित करने एवं उक्त प्रस्तावित बैठक में सुसंगत सूचनाओं सहित प्रतिभाग करने की अपेक्षा की गयी है। इस संबंध में अग्रेतर जानकारी हेतु पत्र में संबंधित के नाम एवं मोबाइल नं० का भी उल्लेख है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विशेष सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा श्रोत अनुभाग (अधि०) के पत्र दिनांक 22.06.2026 द्वारा की गयी अपेक्षा के क्रम में आवश्यक कार्यवाही कराते हुये मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में आयोजित प्रश्नगत बैठक में वांछित सूचनाओं सहित प्रतिभाग किये जाने हेतु प्रकरण से भिन्न

अधिकारी को निर्देशित करने के साथ वांछित सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

Digitally signed by
MANOJ KUMAR SINGH
Date: 24-06-2026

18:05:09
(मनीज कुमार सिंह)

विशेष सचिव।

संख्या:-सा0-113(1)अडतीस-9-2026/38-9099(99)/4/2024तददिनांक।

प्रतिलिपि, निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुप्रेषित।

संलग्नक-यथोपरि।

आज्ञा से

Digitally signed by
YOGESH CHANDRA DIXIT
Date: 24-06-2026
18:06:08

(योगेश चन्द्र दीक्षित)

अनु सचिव।

सा-113/38-7-2026

पत्रांक 6850/प्र0स0/अतिरिक्त

एवं प्रा0अभि0वि0/2026

बैठक दिनांक 03-07-2026 अपरान्ह 04:00 बजे

संख्या-आई/1371991/87-01010(099)/3/2023

प्रेषक,

रविन्द्र सिंह,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत अनुभाग (अधि0)

लखनऊ: दिनांक 22 जून,

2026

विषय: समस्त सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र की स्थापना कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0-50/87-अति0ऊ0सो0वि0/2023 दिनांक 03 मार्च 2023 एवं पत्र संख्या-1400/87-अति0ऊ0सो0वि0/2024 दिनांक 07 अक्टूबर, 2024 (छायाप्रतियाँ संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विभिन्न विभागों के समस्त सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों पर कैपेक्स/रेस्को मॉडल पर रूफटॉप सोलर संयंत्र की स्थापना करने एवं इसके लिए आवश्यक बजट का प्राविधान करने हेतु निर्देशित किया गया है।

2- प्रदेश के समस्त सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में हुई प्रगति की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 03-07-2026 को अपरान्ह 04:00 बजे लोक भवन, प्रथम तल स्थित सभाकक्ष में बैठक आहूत की गई है जिसमें निम्न बिन्दुओं पर समीक्षा की जाएगी:

(i) विभागों के मुख्यालय एवं जनपद स्तर पर रूफटॉप सोलर संयंत्र की स्थापना हेतु उपलब्ध उपयुक्त सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों की संख्या।

23/6/2026

(रजनीश चन्द्र)

विशेष सचिव

ग्राम्य विकास विभाग

उ0प्र0 शासन।

50-5

23/6/26

(चन्द्रिका प्रसाद)

उप सचिव

ग्राम्य विकास विभाग

उ0प्र0 शासन।

AP-7 बैठक

आज प्राप्

श्री निगम

24/06/2026

-2-

General

-2-

- (ii) उपरोक्त भवनों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र की स्थापना की वर्तमान स्थिति - स्थापित/स्थापनाधीन।
- (iii) अवशेष उपयुक्त भवनों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र की स्थापना हेतु कार्ययोजना।
- (iv) सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र की स्थापना हेतु यूपीनेडा द्वारा विकसित पोर्टल पर डेटा अपलोड की प्रगति।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त बिन्दुओं पर संकलित सूचना, तथा विभागीय राज्य नोडल अधिकारी एवं जनपद नोडल अधिकारी का विवरण दिनांक 26.06.2026 तक ई-मेल आईडी - dirupneda@gmail.com पर उपलब्ध कराने एवं इसके लिए विकसित पोर्टल <https://solar.upneda.in/application/rooftop/rooflogin> पर अपलोड करने हेतु निर्देशित करें एवं उक्त प्रस्तावित बैठक में सुसंगत सूचनाओं सहित प्रतिभाग करने का कष्ट करें। इस सम्बंध में अग्रेतर जानकारी हेतु श्री अजय कुमार-II, वरिष्ठ परियोजना अधिकारी-II मो0- 9415609006, एवं श्री अल्विन दास, आईटी मैनेजर मो0- 9415162339 से सम्पर्क किया जा सकता है।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,
Digitally signed by
RAVINDER SINGH
Date: 22-06-2026
15:05:55

(रविन्द्र सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निदेशक, यूपीनेडा को सूचनार्थ एवं बैठक में प्रतिभाग किये जाने हेतु प्रेषित।

आजा से,
Digitally signed by
Kamal Mohan
Date: 22-06-2026
16:19:58 (कमल मोहन)

अनु सचिव।

General

संख्या- 24/2023/50/87-अति.ऊ.स्रो.वि./2023

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश ।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।
3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग

दिनांक 03 मार्च, 2023

विषय: प्रदेश के समस्त सरकारी / अर्ध सरकारी भवनों तथा सभी प्रकार के शिक्षण संस्थानों पर सोलर
रूफटॉप की स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

दिन-प्रतिदिन ऊर्जा की बढ़ती मांग तथा सीमित पारंपरिक ऊर्जा के तेजी से क्षय हो रहे भण्डारों के दृष्टिगत अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बढ़ती मांग को पूरा करने के वैश्विक प्रयास किये जा रहे हैं। संस्ती एवं प्रदूषण मुक्त ऊर्जा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सतत ऊर्जा विकास लक्ष्य (एसडीजी गोल-7) के माध्यम से भारत सरकार आगामी 2030 तक कार्बन निजेशन में कमी करते हुए 50 प्रतिशत ऊर्जा निर्भरता नान फॉसिल फ्यूएल के माध्यम से किये जा रहे प्रयासों में है। प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के प्रचार-प्रसार एवं उसके उपयोग कर वैकल्पिक ऊर्जा संचयों की स्थापना हेतु अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अधीन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, 30प्र0 सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत है। एसडीजी गोल-7 के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सरकारी / अर्ध सरकारी भवनों की खाली छतों पर विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित नियमन के आधार पर ग्रिड संयोजित सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना उचित विकल्प सिद्ध होगा।

2. राजस्व विभाग द्वारा अभी हाल में सौर ऊर्जा नीति, 2022 भी प्रख्यापित की गयी है जिसमें सरकारी एवं अर्धसरकारी भवनों तथा सभी प्रकार के शिक्षण संस्थानों पर रूफ टाप सोलर का प्रयोग होने पर कतिपय सुविधायें भी अनुमत्य की गयी हैं। इस सुविधा के उपयोग से बिजली के बिल में भी बचत होगी।
3. सरकारी एवं अर्धसरकारी भवनों तथा सभी प्रकार के शिक्षण संस्थानों पर रूफ टाप सोलर लगवाने के लिए दो विकल्प सुलभ हैं। विभाग या तो स्वयं शासकीय व्यय पर अपने विभागीय बजट व्यवस्था से रूफ टाप सोलर स्थापित करायें या फिर निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से रेस्को मोड के अन्तर्गत रूफ टाप सोलर स्थापित करायें। इसके सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता एवं साइट <http://shasanaदेश.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

30प्र0 (यू०पी० नेडा) से प्राप्त की जा सकती है। इस बारे में एक संक्षिप्त नोट भी सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

4. इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके विभाग के अधीन सभी सरकारी / अर्द्धसरकारी कार्यालय भवनों तथा सभी प्रकार के शिक्षण संस्थानों में रूफ टाप सोलर लगवाने के लिए मिशन मोड में प्रभावी कार्यवाही कराने का कष्ट करें। इस हेतु किस वर्ष में किस-किस जनपद के किस-किस सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों तथा सभी प्रकार के शिक्षण संस्थानों पर रूफ टाप सोलर लगवाया जाना है, इसे भी अवधारित कर लिया जाये और इस दृष्टिकोण से विभागीय बजट में सुसंगत मद में समुचित प्राविधान समय से करा लिया जाये। इस बारे में जो भी विभागीय रणनीति बनायी जाये उसका विवरण अगामी 15 दिन में अतिरिक्त ऊर्जा विभाग तथा नेडा से साझा किया जाये।

कृपया उपर्युक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव ।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितरू-

1. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
2. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा/ माध्यमिक शिक्षा/ बेसिक शिक्षा / प्राविधिक शिक्षा / चिकित्सा शिक्षा/ कृषि शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन ।
3. प्रमुख सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन ।
4. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।
5. आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश ।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
7. समस्त मंडल आयुक्त/जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी, 30प्र0।
8. स्टडी ऑफिस, मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन।
9. निदेशक, नेडा, उत्तर प्रदेश को इस आशय से कि कृपया जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारियों को इस दिशा में जनपद स्तर पर प्रभावी कार्यवाही एवं अनुश्रवण हेतु निदेशित करने का कष्ट करें तथा सरकार के विभिन्न विभागाध्यक्षों से समन्वय करके उन्हें समुचित मार्गदर्शन भी प्रदान करें।
10. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

महेश कुमार गुप्ता
अपर मुख्य सचिव

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या: 1460 /87-अति050सो0वि0/2024

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. समस्त अं पर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, 50 प्र०
3. समस्त जिलाधिकारी, 30 प्र०
4. निदेशक,
30 प्र० नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विप्लव अभिकरण (यूपीनेड)
विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग

लखनऊ दिनांक ७ अक्टूबर २०२४

विषय: प्रदेश के संसत्त सरकारी/अर्द्ध सरकारी भवनों पर अनिवार्य रूप से सोलर स्फुटप संयंत्र स्थापित किये जाने के संबंध में ।

महोदयः

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2070 तक नेट जीरो कर्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है एवं वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित है। इस संबन्ध में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय एवं विपुल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा देश के समस्त सरकारी भवनों को माह दिसम्बर, 2025 तक सोलर रूफटॉप संयंत्र से संतुष्ट किया जाना लक्षित है। प्रदेश सरकार द्वारा भी सौर ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत प्रदेश के सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों में 1500 मेगावाट क्षमता के सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों में सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित करने से बिजली के बिल में अत्यधिक बचत होगी। इस हेतु समस्त सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों में नेटमीटरिंग की सुविधा भी अनुमत्य की गयी है।

2- उत्प्रेक्षणीय है कि सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित करने हेतु 02 प्रकार के विकल्प उपलब्ध हैं। प्रथम विकल्प के रूप में विभाग अपने बजटीय संसाधन से सोलर रूफटॉप संयंत्र कैपेक्स मोड में स्थापित कर सकते हैं। द्वितीय विकल्प के रूप में विभाग द्वारा रेस्कू मोड के माध्यम से सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाया जा सकता है। प्रदेश सरकार द्वारा सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित करने हेतु 30प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय विकास अभिकरण (यूपीनेड) को नोडल एजेंसी बनाया गया है। यूपीनेड द्वारा 10000 Kw परिसरों में सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों के सोलरइजेशन हेतु 500 मेगावाट की निविदा यूपीनेड द्वारा पूर्ण कर ली गयी है। वित्त विभाग द्वारा शासनादेश संख्या-1/2024/ई-10-1/668845/दस-2024-1010099/22/2022 दिनांक 21 जून, 2024 (प्रति संलग्न) के माध्यम से रेस्को मोड से सोलरइजेशन के लिए विभाग स्तर पर केन्द्रीयकृत विद्युत बिल भुगतान किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:-

1. समस्त विभाग अगले 07 दिन में अपने सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों की जनपदवार लिस्टिंग कर सूचना यूपीनेड को उपलब्ध करायेगा। यूपीनेड द्वारा इस हेतु प्रारूप समस्त विभागों को दिया जायेगा।
2. सामान्यतः 25 किलोवाट से अधिक विद्युत भार वाले सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों को रेस्को मोड में सोलरइज्ड किया जाए, उदाहरणस्वरूप अटल आवासीय विद्यालय, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज इत्यादि।
3. सामान्यतः 25 किलोवाट एवं उससे कम विद्युत भार वाले सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों को कैपेक्स मोड में सोलरइज्ड किया जाए।
4. समस्त विभाग अपने सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों में सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित करने हेतु यजतीय प्राविधान अनिवार्य रूप से कराएं।
5. जिन विभागों द्वारा अपने भवनों को रेस्को मोड में सोलरइज करना है वो आगामी 30 दिवस में पावर परचेज एग्रीमेण्ट की कार्यवाही सुनिश्चित कराएं।
6. यूपीनेड समस्त विभागों से समन्वय कर समस्त सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों में सोलरइजेशन का कार्य सुनिश्चित कराएं।
7. समस्त जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों पर रेस्को/कैपेक्स मोड पर त्वरित गति से सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित कराने हेतु अपने स्तर पर समीक्षा करेंगे एवं प्रगति रिपोर्ट यूपीनेड के साथ साझा करेंगे।
8. समस्त विभागों द्वारा अपने सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित करने की प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह यूपीनेड के साथ साझा किया जाए।
9. यूपीनेड द्वारा प्रत्येक माह अधोहस्ताक्षरी के स्तर पर बैठक करायी जाए, जिसमें प्रदेश में सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों के सोलरइजेशन की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

भवदीय

(मनोज कुमार सिंह)

मुख्य सचिव

संख्या: 1400 (i) /87-अति050सो0वि0/2024, दिनांक 7 सितंबर, 2024

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
2. पुलिस, महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3. प्रधान, मुख्य यंत्र संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
4. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
5. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
6. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
7. महानिदेशक, शैक्षिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
9. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
10. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
11. निदेशक, व्यवसायिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
12. निदेशक, उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश।
13. निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।
14. निदेशक, उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश।
15. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
16. निदेशक, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश।
17. शार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by Narendra

Bhooshan (भूषण)

Date: 03-10-2024 14:20:33